फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

प्यारसिंह बनाम रा.राज्य जरिए तहसीलदार माण्डल

मुकदमा प्रा. पत्र 111-128 नं0 173 सन् 2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 12-11-22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर ... पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29.12.22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 27.12.22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:57:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्ड़ल जिला भीलवाड़ा (राज0)

अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या– 173/22 प्रा.पत्र

बालुसिंह S/o श्री नानुसिंह सोलंकी निवासी-भादू तहसील-माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा॰ माण्डल तहसील-माण्डल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक – 27.12.22

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम......भादू......पटवार हल्का......भादू......तहसील माण्डल में उसके /संयुक्त खाते की आराजी नं. 3115/1872 कुल किता 01 रकबा 0.5059 र स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.11.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का कारी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

र्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......भादू......पटवार ल्का......भादू......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं......3115/1872,...... कुल किता......01......रकबा......0.5059......हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी केये जाने हेतु पत्थगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक ......लुहारिया......को......500/-......रुपये कमिश्नर फीस, पर कमिश्नर फीस जमा होने पर ... बनाये ... कालि बिन्दु को आधार पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये ... मानकर पत्थगढ़ी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थगढी नही की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:57:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल ... भीलवाड़ा